रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 1971/माघ 15, 1892

No. 100] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1971/MAGHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February 1971

S.O. 667.—In pursuance of sub-sections (1) and (2) of section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its Notification No. 508/AS/66, dated the 1st January, 1967, namely:—

In column 3 of the Table appended to the said notification, for the existing entry "Saiha Subdivision" against serial No. 1-Mizo District, (c) Subdivisional Officer, Lungleh, the entry "Pawai Lakher Subdivision", shall be substituted.

This amendment shall be deemed to have taken effect from the 4th January, 1971.

[No. 508/AS/70.]

By Order,
K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1971

एस० ओ० 667.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क्क की उपधारा (1) तथा (2) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 508/असम/66, तारीख 1 जनवरी 1967 में और आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उस अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तंभ 3 में, क्रम सं० 1 जिला मिजो, (ग) उपखंड अधिकारी, लुंगलेह, प्रविष्टि के सामने विद्यमान प्रविष्टि "सेका उपखंड" के स्थान पर "पवाई लाखेर उपखंड," प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

ये संशोधन 4 जनवरी, 1971 से लागू माने जाएंगे ।

[सं० 508/असम/70.]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971